न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:–285 / 2022 दायर दिनांक:–08.09.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 590

काडू पुत्र श्यौफूल जाति मीना निवासी इरनिया तहसील श्रमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

————वादी

बनाम

1. नीरज पुत्र मदन
2. राजेश पुत्र मदन
3. मोहरबाई बेवा मदन
4. मुनीम
5. सुआलाल
6. हरसहाय
7. रमेशी
8. श्योबाई
9. सोमोती

(4 से 9) पिसरान श्यौफूल

(1 से 9) समस्त जातियान मीना निवासीयान इरनिया तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली

10. तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान
11. सब रजिस्ट्रार तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन आराजीयात एवं
स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. श्री पी एल गोयल एडवाकेट वादी

2. श्री प्योरलाल पोहिया एडवोकेट प्रतिवादी स0 1,3,4,5,6

3. श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी सं0 2,7,8,9

निर्णय दिनांक :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:08:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञी दिनांक 25.04.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा0.03 है0, 394 रकबा 0.02 है0, 505 रकबा 0.12 है0, 535 रकबा 0.23 है0, 615 रकबा 0. 20 है0, 759 रकबा 0.08 है0, 99 रकबा 0.07 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.75

है0 वाके ग्राम इरनिया तहसील श्रीमहावीरजी में वादी हि0 1/8 भाग का तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 9 नीरज पुत्र मदन हि0 1/24, मुनीम पुत्र श्यौफल हि0 1/8, मोहरबाई पत्नि स्व0 मदन 1/24, रमेशी पुत्री श्यौफल हि0 1/8, राजेश पुत्र मदन हि0 1/24, श्योबाई पुत्री श्यौफल हि0 1/8, सुआलाल पुत्र श्यौफल हि0 1/8, सोमोती पुत्री श्यौफल हि0 1/8, हरसहाय पुत्र श्यौफल हि0 1/8 के मध्य बंटवारा करने हेतु तहसीलदार श्रीमहावीरजी को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये कि आप उपरोक्त विवादित आराजीयात के मौके पर पहुँचकर पक्षकारान के उपरोक्त वर्णित हिस्सानुसार उनके कब्जा काश्त को मद्देनजर रखते हुए अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

मुताविक आदेश तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक एल आर/2024 / 528 दिनांक 03.06.2024 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की बंटवारा स्कीम पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	काडू पुत्र श्योफूल जाति मीना	535/6	2.875 है0
2	नीरज पुत्र मदन हिस्सा 1/3, राजेश पुत्र मदन हिस्सा 1/3, मोहर बाई पत्नि मदन हिस्सा 1/3 जाति मीना	535/1	2.875 है0
3	मुनीम पुत्र श्यौफूल जाति मीना	535/3	2.875 है0
4	रमेशी पुत्री श्यौफूल जाति मीना	535/5	2.875 है0
5	श्यौबाई पुत्री श्यौफूल जाति मीना	535/4	2.875 है0
6	सुआलाल पुत्र श्यौफूल जाति मीना	535/7	2.875 है0
7	सेमोती पुत्री श्यौफूल जाति मीना	535/2	2.875 है0
8	हरसहाय पुत्र श्यौफूल जाति मीना	535/8	2.875 है0

शेष खसरा न0 172, 397, 505, 615, 759 एवं 99 [illegible] रहेंगे।

उपरौक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिक्री एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:08:49 IST
Reason: SelfAttested

सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री कराना चाहते हैं। इसलिए तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम को स्वीकार करते हुए वादी का दावा मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा आराजी फाईनल डिक्री किया जाकर बंटवारा स्कीम दिनांक 03.06.2023 स्वीकार कर निम्नानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	काडू पुत्र श्योफूल जाति मीना	535/6	2.875 है0
2	नीरज पुत्र मदन हिस्सा 1/3, राजेश पुत्र मदन हिस्सा 1/3, मोहर बाई पत्नि मदन हिस्सा 1/3 जाति मीना	535/1	2.875 है0
3	मुनीम पुत्र श्यौफूल जाति मीना	535/3	2.875 है0
4	रमेशी पुत्री श्यौफूल जाति मीना	535/5	2.875 है0
5	श्यौबाई पुत्री श्यौफूल जाति मीना	535/4	2.875 है0
6	सुआलाल पुत्र श्यौफूल जाति मीना	535/7	2.875 है0
7	सोमोती पुत्री श्यौफूल जाति मीना	535/2	2.875 है0
8	हरसहाय पुत्र श्यौफूल जाति मीना	535/8	2.875 है0

शेष खसरा न0 172, 397, 505, 615, 759 एवं 99 यथावत रहेगे।

तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का ही एक भाग है। तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....31/7/24.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 31/7/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:08:49 IST
Reason: SelfAttested